

<p style="text-align: center;">फर्द अहकाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला-उदयपुर प्रार्थी :- श्री गंगाराम विपक्षी :- श्रीमती मांगीबाई किस्म मुकदमा - 53,188 रा.का.अ. पत्रावली संख्या : 25/21</p>					
क्रमांक	कार्यवाही विवरण				इलाखर वादी का सूचना जारी की गई
	<p>दिनांक : 30.12.2021</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्प मोरठ में पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-</p>				
क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गंगाराम पुत्र नानुराम बैरवा सा देह खातेदार	6097 / 3184 6098 / 3188	0.1565 0.0647	बा.प्र. बा.प्र.	0.15 0.10
	योग	किता 2	0.2212	-	0.25
2	मांगीबाई पत्नी गोपाललाल 1/2 रामगोपाल पिता उदा 1/2 खटीक सा. देह खातेदार	3189 3190 6097 / 3184 6098 / 3188	0.2104 0.1538 0.0701 0.0081	बा.प्र. बा.प्र. बा.प्र. बा.प्र.	0.08 0.07 0.25 0.08
	योग	किता 4	0.4424	-	0.48
<p>नोट— उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली</p>					



अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री मयंक मनीष, I.A.S

मुकदमा नम्बर : 25/21 (वाद)

उनवान

1. श्री गंगाराम पिता नानुराम बैरवा निवासी सनवाड तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती मांगीबाई पत्नी गोपाललाल खटीक निवासी खटीक मौहल्ला सनवाड तह. मावली।
2. श्री रामगोपाल पिता उदा खटीक निवासी खटीक मौहल्ला सनवाड तह. मावली।
3. उप पंजीयन अधिकारी सनवाड तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.12.2021 को मयंक मनीष, I.A.S. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गंगाराम पुत्र नानुराम बैरवा सा देह खातेदार	6097 / 3184 6098 / 3188	0.1565 0.0647	बा.प्र. बा.प्र.	0.15 0.10
	योग	किता 2	0.2212	—	0.25
2	मांगीबाई पत्नी गोपाललाल 1/2 रामगोपाल पिता उदा 1/2 खटीक सा. देह खातेदार	3189 3190 6097 / 3184 6098 / 3188	0.2104 0.1538 0.0701 0.0081	बा.प्र. बा.प्र. बा.प्र. बा.प्र.	0.08 0.07 0.25 0.08
	योग	किता 4	0.4424	—	0.48

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 30.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली